संख्या-47/2020/1071/86-2020-14(सा॰)/2020

प्रेषक,

डा॰ रोशन जैकब,

सचिव,

उ॰प्र॰ शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश,

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग। लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2020

विषयः-कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सम्बन्धित उपकरणों के क्रय हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि से धनराशि के व्यय की शर्तो का शिथिलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 7/2/2020.MIV दिनांक 11 जून, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परीक्षण, स्क्रीनिंग, और अन्य सम्बन्धित उपकरणों के क्रय पर जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि से धनराशि व्यय किये जाने की शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में है। सचिव, खान मत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 7/2/2020.MIV दिनांक 28.03.2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-4जीआई/86-2020 दिनांक 30.03.2020 द्वारा न्यास निधि में उपलब्ध धनराशि का अधिकतम् 30 प्रतिशत कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 30.03.2020 में उल्लिखित शर्तों में एक शर्त यह भी थी किः-

"Funds can be utilized for purchase/installation of necessary medical equipment/s or creation of medical infrastructure as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in those districts with at least a minimum of one COVID-19 positive patient".

2. प्रदेश में कोविड-19 समर्पित चिकित्सालयों की स्थापना एवं आईसोलेशन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में खान मंत्रालय भारत सरकार के प्रश्नगत पत्र दिनांक 11.06.2020 द्वारा उक्त शर्त को हटाते हुये उसके स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी गयी है:-

"Funds can be utilized for purchase/installation of necessary medical equipment's or creation of medical infrastructure as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in all districts having DMF".

इस प्रकार वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण पर न्यास निधि से धनराशि व्यय के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2020 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

3. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु न्यास निधि से परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सम्बन्धित उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि व्यय के सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित नई शर्त को संज्ञान में लेते हुये शासनादेश संख्या-4जीआई/86-2020 दिनांक 30.03.2020 में निहित अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-07जीआई/86-2020-14(सा॰)/2020 दिनांक 01.07.2020 को कतिपय लिपिकीय त्रुटि के कारण कृपया निरस्त समझा जाये।

भवदीया

डा॰ रोशन जैकब
सचिव

संख्या- 1071(1)/86-2020, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ॰प्र॰ शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ॰प्र॰ शासन।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग, उ॰प्र॰ शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ॰प्र॰।
5- क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर/देहरादून।
6- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ॰प्र॰ लखनऊ।
7- समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को इस निर्देश के साथ उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

हृदय नारायण सिंह यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।